M P AGRO

दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन
पंचानन भवन, तृतीय मंजिल,मालवीय नगर, भोपाल

0755- 2761392 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@ gmail.com

2 लाख किलो कैलोरी के (थर्मिक फ्लूड) थर्मोपैक के संचालन एवं दैनिक रख–रखाव का कार्य प्रतिटन कोयला खपत के आधार पर ठेका पद्धति से करने हेतु निविदा प्रपत्र

ऑन लाईन निविदा प्राप्त करने की निर्धारित दिनांक 20.03.2020

महा प्रबंधक

(पोषण आहार)

दि. एम. पी. स्टेट एग्रो इण्ड. डेव्ह. कार्पो. लिमि.
पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल
0755- 2761392 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
CIN No.U01119MP19695GC001055

क्रमांक मुख्या/पो.आ /2019–20/6751 दिनांक 12.03.2020

अल्प कालीन निविदा सूचना

विभिन्न आठ जिलों (बाडी, देवास, धार, मण्डला, सागर, शिवपुरी, रीवा एवं होशंगाबाद) में स्थापित पूरक पोषण आहार संयंत्रों में संचालित पोषण अहार संयंत्र में स्थापित 2 लाख किलो कैलोरी के (थर्मिक फ्लूड) थर्मोपैक के संचालन एवं दैनिक रख–रखाव का कार्य प्रतिटन कोयला खपत के आधार पर ठेका पद्धति से करने हेतु निर्धारित प्रपत्र में निगम द्वारा निर्धारित की गई शर्तो को पूर्ण करने वाले निविदाकारों से निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा की विस्तृत शर्तों का विवरण निगम की website - www.mpagro.org पर प्राप्त किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र का क्रय online पद्धति से www.mptenders.gov.in से दिनांक 20.03.2020 **अपरान्ह् 01.00** बजे तक किया जा सकता है, निविदा प्रपत्र इसी दिन अपरान्ह् 02.00 बजे तक अपलोड किए जा सकेंगे।

निविदा में किसी भी प्रकार के संशोधन उपरोक्त वेबसाईट पर ही अपलोड किये जाएंगे एवं इसके लिए अलग से समाचार पत्र में कोई प्रकाशन नहीं किया जाएगा।

महाप्रबंधक
(पोषण आहार)

दि. एम. पी. स्टेट एग्रो इण्ड. डेव्ह. कार्पो. लिमि.
पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल
0755- 2761392 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
CIN No.U01119MP19695GC001055

क्रमांक मुख्या / पो.आ. / एसआरएलएम / 2019–20 / दिनांक 12.03.2020

विस्तृत निविदा सूचना

निगम द्वारा विभिन्न जिलों (रायसेन (बाड़ी) देवास, धार, मण्डला, सागर, रीवा, शिवपुरी एवं होशंगाबाद) में पूरक पोषण आहार संयंत्र संचालित है, जिनकी क्षमता निम्नानुसार हैः–

क	स्थान का नाम	कुल स्थापित क्षमता (मी टन)	उत्पादित की जाने वाली सामग्री
01	देवास, धार सागर, मण्डला, शिवपुरी, रीवा	2,500	1680 मी.टन पावडर, 420 मी.टन खिचड़ी
02	बाड़ी संयंत्र	1600	1200 मी.टन पावडर, 400 मी.टन खिचड़ी
03	होशंगाबाद	600	400 मी.टन पावडर, 200 मी.टन खिचड़ी

वर्ष 2020– 21, 2021–22 एवं आगे की अवधि में उक्त संयंत्रों में केवल पाउडर के उत्पादन हेतु स्थापित 2 लाख किलो कैलोरी क्षमता के थर्मोपैक (थर्मिक फ्लूड हीटर) के संचालन एवं दैनिक रख–रखाव का कार्य प्रतिटन कोयला खपत के आधार पर ठेका पद्धति से करने हेतु निविदा प्रपत्र में निर्धारित की गई शर्तो को पूर्ण करने वाले वैध निविदाकारों से निविदा आमंत्रित की जाती है :–

कार्य का विवरण	स्थान	निविदा प्रपत्र राशि (रू. में) जीएसटी सहित	संकल्प धनराशि (रू. में) *	
2	3	4	5	6
2 लाख किलो कैलोरी के (थर्मिक फ्लूड) थर्मोपैक के संचालन एवं दैनिक रख–रखाव का कार्य प्रतिटन कोयला खपत के आधार पर करना (केवल पाउडर हेतु)	1. रायसेन (बाड़ी) 2. देवास, 3. धार, 4. मण्डला, 5. सागर, 6. रीवा, 7. शिवपुरी 8. होशंगाबाद	5,900 / –	78,,000 / –	क्रमांक 1 से 7 के प्रत्येक संयंत्र हेतु रू 10000 / – एवं क्रं 8 हेतु 8000 / –

**** संकल्प धन राशि प्रत्येक संयंत्र हेतु कालम 6 के अनुसार निधारित है। तकनीकी कारणों से निविदाकार को उपरोक्त कालम 5 में दर्शाऐ अनुसार पूर्ण राशि जमा कराई जाना आवश्यक है। निविदाकार द्वारा जिन सयंत्रों हेतु निविदा प्रस्तुत की जावेगी उतनी राशि संकल्प धन राशि के रूप में निगम में जमा की जावेगी तथा शेष राशि निगम द्वारा निविदाकार को वापस कर दी जाएगी।***

निविदा प्रपत्र का क्रय online पद्धति से www.mptenders.gov.in से दिनांक 20.03.2020 तक अपरान्ह् 1.00 बजे तक किया जा सकता है, निविदा प्रपत्र इसी दिन अपरान्ह् 2.00 बजे तक अपलोड किए जा सकेंगे जिन्हें दिनांक 20.03.2020 को अपरान्ह् 3.00 बजे खोला जाएगा । निविदा में किसी भी प्रकार के संशोधन उपरोक्त वेबसाईट पर ही अपलोड किये जाएंगे एवं इसके लिए अलग से समाचार पत्र में कोई प्रकाशन नहीं किया जाएगा।

महाप्रबंधक (पोषण आहार)

दि. एम. पी. स्टेट एग्रो इण्ड. डेव्ह. कार्पो. लिमि.
पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल
☎- 0755- 2761392 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@ gmail.com

निगम द्वारा विभिन्न आठ जिलों (बाड़ी, देवास, धार, मण्डला, सागर, शिवपुरी, रीवा एवं होशंगाबाद) में संचालित पूरक पोषण आहार संयंत्रों में स्थापित संयंत्र पर 2 लाख किलो कैलोरी के थर्मोपैक का वर्ष 2020–21, 2021–22 एवं आगे की अवधि में संचालन एवं दैनिक रख–रखाव का कार्य प्रतिटन कोयला खपत के आधार पर ठेका पद्धति से करने हेतु निविदा पत्र (इसे आगे चलकर थर्मोपैक संचालन कार्य कहा गया है)

निविदा प्रस्तुत करने का समय एवं तिथियों का विवरण

ऑन लाईन निविदा पत्र का मूल्य GST सहित	राशि रू 5,900.00 (GST सहित)
ऑन लाईन निविदा पत्र का क्रय	www.mptenders.gov.in पर आवश्यक प्रोसेसिंग फीस का भुगतान कर दिनांक 13.03.2020 को अपरान्ह् 12.00 बजे से 20.03.2020 अपरान्ह् 1.00 बजे तक
संकल्प धन राशि (EMD)	रू 78,000 (रू अठहत्र हजार मात्र) का आन लाईन भुगतान www.mptenders.gov.in पर दिनांक 13.03.2020 को अपरान्ह् 2.00 बजे से 20.03. 2020 अपरान्ह् 1.00 बजे तक
ऑन लाईन निविदा प्राप्त करने की निर्धारित समय सीमा	दिनांक 13.03.2020 अपरान्ह् 12.00 बजे से 20.03.2020 अपरान्ह् 1.00 बजे तक
प्री बिड मीटिंग	दिनांक 17.03.2020 अपरान्ह् 3.00 बजे निगम मुख्यालय तृतीय तल पंचानन भवन मालवीय नगर भोपाल के महाप्रबंधक (पोषण अहार) के कक्ष में सुझाव/आपत्ति दि0 17.03.2020 2.00 बजे तक मान्य
निविदा पत्र (हार्डकापी में) टेण्डर बॉक्स में प्रस्तुत करने की निर्धारित समय सीमा	दिनांक 20.03.2020 अपरान्ह् 2.00 बजे तक
ऑनलाईन तकनीकी निविदा तथा हार्ड कापी खोलने की तिथि	दि0 20.03.2020 अपरान्ह 3.00 बजे

योग्य पाये गये आफरकर्ताओं के वित्तीय प्रस्ताव खोले जाने की दिनांक एवं समय की जानकारी निगम के सूचना पटल एवं Website पर दी जावेगी एवं योग्य प्रदायकों को ई–मेल पर सूचित किया जावेगा।

नोट– उपरोक्त दर्शित समय एवं तिथियों में परिवर्तन होने की दशा में इस आशय की सूचना का प्रकाशन निगम की Website www.mpagro.org तथा www.mptenders.gov.in पर किया जावेगा। निविदाकारों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त निविदा के संदर्भ में बेवसाईट समय समय पर देख कर प्रकाशित होने वाले संशोधन/सूचनाओं के प्रति अवगत हों।

महाप्रबंधक (पोषण आहार)

दि. एम. पी. स्टेट एग्रो इण्ड. डेव्ह. कार्पो. लिमि.
पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल
☎- 0755- 2761392 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@ gmail.com

निगम द्वारा विभिन्न आठ जिलों (रासेन (बाड़ी), देवास, धार, मण्डला, सागर, शिवपुरी, रीवा एवं होशंगाबाद) में स्थापित/स्थापित किए जाने वाले पूरक पोषण आहार संयंत्रों में स्थापित संयंत्र पर 2 लाख किलो कैलोरी के थर्मोपैक के संचालन एवं दैनिक रख–रखाव का कार्य प्रतिटन कोयला खपत के आधार पर ठेका पद्धति से करने हेतु (इसें आगे चलकर थर्मो पैक संचालन कार्य कहा गया है) निर्धारित प्रपत्र में निगम द्वारा निर्धारित की गई शर्तो को पूर्ण करने वाले निविदाकारों से निम्नानुसार निविदा आमंत्रित की जाती है ।

निविदा प्रपत्र विवरण

निविदा पत्र में कुल 21 पृष्ठ निम्नानुसार हैः–

क्रं	विवरण	अनुसूची	पृष्ठ संख्या
1	आवेदन पत्र	अनुसूची –1	6–7
2	सामान्य शर्ते	अनुसूची –2	8–16
3	घोषणा पत्र	अनुसूची –3	17
4	वित्तीय प्रस्ताव पत्र का प्रारूप (Annexure 4)	अनुसूची –4	18
5	अनुबंध का प्रारूप	अनुसूची –5	19
6	मेंटेनेंस से संबंधित मुख्य बिंदु	अनुसूची– 6	20–21

निविदा पत्र में उद्धृत/उल्लेखित विभिन्न शब्दों का भावार्थ–

•	निगम	दि. एम. पी. स्टेट एग्रो इण्ड. डेव्ह. कार्पो. लिमि.
•	संयंत्र	निगम द्वारा रायसेन (बाड़ी) देवास, धार, मण्डला, सागर, शिवपुरी, रीवा एवं होशंगाबाद में स्थापित किए जाने वाले पूरक पोषण आहार संयंत्र
•	निविदाकर्ता	निविदाकर्ता जिनके द्वारा उक्तानुसार कार्य किये जाने हेतु निर्धारित दस्तावेज में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।
•	थर्मोपैक संचालनकर्ता	निविदाकर्ता जिनके द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को मान्य कर थर्मोपैक के संचालन कार्य करने हेतु अनुबंधित किया गया हो।
•	संकल्प धनराशि (ई.एम.डी.)	निविदा पत्र की अनुसूची –2 शर्त क्रं. 3 के अनुसार
•	धरोहर राशि (सिक्युरिटी डिपाजिट)	निविदा पत्र की अनुसूची –2 शर्त क्रं 9 के अनुसार
•	प्रबंध संचालक	दि. एम. पी. स्टेट एग्रो इण्ड. डेव्ह. कार्पो. लिमि के प्रबंध संचालक
•	महा प्रबंधक (पोषण आहार)	दि. एम. पी. स्टेट एग्रो इण्ड. डेव्ह. कार्पो. लिमि के महा प्रबंधक (पोषण आहार)
•	संयंत्र प्रभारी	पोषण आहार संयंत्रों के प्रभारी / मुख्य कार्यपालन अधिकारी

पोषण आहार संयंत्र में 2 लाख किलो कैलोरी के (थर्मिक फ्लूड) थर्मोपैक के संचालन एवं दैनिक रख–रखाव का कार्य प्रतिटन कोयला खपत के आधार पर ठेका पद्धति से करने हेतु आवेदन प्रपत्र

प्रति,

प्रबंध संचालक,
एम.पी स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड
तृतीय तल पंचानन भवन,
मालवीय नगर
भोपाल ।

विषय– थर्मोपैक के संचालन कार्य करने हेतु निविदा हेतु आवेदन पत्र

महोदय,

हमारे द्वारा पोषण आहार संयंत्रों में थर्मोपेक संचालन का कार्य करने हेतु निविदा प्रस्तुत की जा रही है। हमारी फर्म का विवरण निम्नानुसार है –

क्र0	विवरण	प्रस्तुत विवरण
1	निजी कंपनी, निजी / पब्लिक लिमिटेड कंपनी / पार्टनरशिप फर्म / अन्य	....
2	फर्म के पत्र व्यवहार का पूर्ण पता	....
3	निविदा प्रस्तुत करने / हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत व्यक्ति का नाम	....
4	दूरभाष क्रमांक मोबाईल क्र0 Email	....
5	पेन नंबर	....
6	GST नंबर	....
7	निविदा पत्र का मूल्य GST सहित राशि रू 5,900 / –	To be Submitted Online
8	संकल्प धनराशि (EMD) रू 78,000 / – देवास, धार, मण्डला, सागर, शिवपुरी, रीवा एवं बाड़ी प्रत्येक संयंत्र हेतु एवं रू 10000 / – एवं होशंगाबाद संयंत्र हेतु 8000 / – *उदाहरणार्थ यदि आपके द्वारा मण्डला सागर एवं बाड़ी संयंत्र हेतु तथा होशंगाबाद संयंत्र हेतु निविदा प्रस्तुत की जा रही है तो राशि रू (10000X3+ 8000=38,000) की संकल्प धनराशि निगम में जमा रखी जावेगी एवं शेष राशि निविदाकार को वापस की जाऐगी*	To be Submitted Online
9	ई.पी.एफ. तथा ई.एस.आई के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (फोटो प्रति अपलोड करे) (अनुसूची–2 क्र 1.07 अनुसार)	

10	फर्म द्वारा किसी उद्योग में किए गए थर्मोपैक के संचालन कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र (न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि) (अनुसूची–2 क्रं 1.4 अनुसार)	
11	फर्म में दिनांक 29.02.2020 को नियोजित कर्मियों, सुपरवाईजर का विवरण नाम, अनुभव वर्षों में, कंपनी जहां कार्य किया हो सहित। (अलग से प्रस्तुत करें व जानकारी स्वयं सत्यापित करें कि सूची में उल्लेखित कर्मी 29.02.2020 की स्थिति में नियोजित थे सत्यापित जानकारी मूलतः हस्ताक्षर एवं सील सहित प्रस्तुत की जाए)	

स्थान जिनके लिये निविदा प्रस्तुत की जा रही है।

क्रं	**स्थान**	**EMD**
1	**2**	**3**
1	देवास	
2	धार	
3	मण्डला	
4	शिवपुरी	
5	रीवा	
6	सागर	
7	होशंगाबाद	
8	बाड़ी (रायसेन)	
	कुल जमा की जाने वाली ई.एम.डी.	

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

नाम ....

नोट :–

- उपरोक्त सभी अपलोड किये गए दस्तावेजों की हार्ड कापी (चार्टर्ड एकउंटेंट के प्रमाण पत्र की मूल प्रति सहित) एक लिफाफे में रखे जाकर दिनांक 20.03.2020 समय अपरान्ह 2 बजे तक दि. एम. पी. स्टेट एग्रो इण्ड. डेव्ह. कार्पो. लिमि. पंचानन भवन, मेजेनाईन फ्लोर, मालवीय नगर, भोपाल के कार्यालय के उपलब्ध टेन्डर बाक्स में डाले जाना है।
- वित्तीय निविदा अपलोड ही की जाना है। हार्ड कापी नहीं दी जाना है।

दि. एम. पी. स्टेट एग्रो इण्ड. डेव्ह. कार्पो. लिमि.
पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल
☎- 0755- 2761392 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@ gmail.com

कार्य का स्वरूप

सामान्य जानकारी

01. निगम द्वारा प्रदेश के आठ जिलों यथा बाडी, देवास, धार, मण्डला, सागर, शिवपुरी, रीवा एवं होशंगाबाद मे स्थापित पोषण अहार संयंत्रों के संचालन का कार्य किया जा रहा है। देवास, धार, मण्डला, सागर, रीवा, शिवपुरी,में स्थापित 2500 मी.टन क्षमता, बाड़ी में 1600 मीटन क्षमता के तथा होशंगाबाद जिले में स्थापित 600 मी.टन क्षमता के पोषण आहार संयंत्र संचालित है। इन संयंत्रों में पोषण आहार पाउडर के रूप में तथा खिचड़ी का उत्पादन किया जाता है। पाउडर के उत्पादन में पाउडर की सिकाईं की जाती है इस हेतु प्रत्येक संयंत्र में थर्मोपैक की स्थापना की गई है।
02. स्थापित कोल थर्मोपैक के संचालन एवं रखरखाव का कार्य 8 घण्टे की तीन शिफ्टों में किया जाना है।
03. ठेकेदार को संयंत्रों में थर्मोपैक के संचालन एवं दैनिक रखाव संबंधित संयंत्र के संयंत्र प्रभारी / मुख्यकार्यपालन अधिकारी के निर्देशानुसार कार्य करना होगा। यदि ठेकेदार द्वारा कार्य में किसी भी प्रकार की अनियमितता की जाती / थार्मोपैक को हानि पंहुचाई जाती है अथवा अनुबंध की शर्तों का उल्लघंन किया जाता है तो निगम संबंधित ठेकेदार का अनुबंध निरस्त कर उनकी धरोहर राशि को जप्त करने तथा हुये नुकसान की भरपाई ठेकेदारों के देयकों से करने की कार्यवाही कर सकेगा।
04. तीन राष्ट्रीय अवकाश (26 जनवरी, 15 अगस्त एवं 2 अक्टूबर) को छोडकर सभी दिवसों में कार्य किया जाएगा। अन्य अवकाश के संबंध में संयंत्र प्रभारी एक दिवस पूर्व जानकारी देंगे।
05. मेकटेक कम्पनी द्वारा उसके 2 लाख किलो केलोरी क्षमता के MTCV–200 थर्मोपैक में 60 किलो कोयले की खपत होने की जानकारी दी गई है। निगम के बाड़ी में VCTY-02 लाख किलो केलोरी क्षमता का थार्मोपैक स्थापित है निगम के संयंत्र में कोयला 5 हजार किलो केलोरी का क्रय किया जायेगा। ठेकेदार द्वारा संयंत्र द्वारा क्रय किए गए कोयले के उचित भण्डारण की व्यवस्था की जायेगी तथा थर्मोपैक में कोयला तौल कर ही डाला जायेगा एवं प्रति शिफ्ट में कोयले की खपत रिकार्ड की जायेगी।
06. निविदाकर्ता का यह दायित्व है कि निविदा प्रस्तुत करने के पूर्व संयंत्रों में स्थापित कोल थर्मोपैक का निरीक्षण कर लेवें एवं वास्तिविक परिस्थितियों तथा संचालन एवं रखरखाव कार्य का निरीक्षण कर संचालन एवं रखरखाव कार्य प्रणाली से अवगत हो। निविदा प्रस्तुत किये जाने पर यह मान्य किया जावेगा कि निविदाकार संयंत्रों एवं थर्मोपैक की वर्तमान आवश्यकताओं से भलीभांति अवगत /आश्वस्त है।

सामान्य शर्ते

1 अर्हता –

01. निविदाकर्ता निजी कंपनी/पब्लिक लिमिटेड कंपनी/पार्टनरशिप फर्म/अन्य, जो श्रम विभाग द्वारा जारी वैध लायसेंस धारक हो।

02. निविदाकर्ता के पास आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड व जी.एस.टी. होना आवश्यक है।

03. निविदाकर्ता के पास प्रत्येक संयंत्र में थर्मोपैक के संचालन के समस्त कार्य गुणवत्ता सुनिश्चितीकरण सहित में दक्ष कर्मी होना चाहिए ।

04. निविदाकर्ता के पास थर्मोपैक के संचालन कार्य ठेका पद्धति पर करने का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है ।

05. ई.पी.एफ. तथा ई.एस.आई के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट धारक हो। (यदि सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो तो निविदाकर्ता द्वारा स्वयं सील एवं हस्ताक्षर सहित पत्र प्रस्तुत किया जाए कि वह समस्त कार्य गुणवत्ता सुनिश्चितीकरण सहित नियमानुसार स्वीकृत किए जाने की दशा में उपरोक्त प्रमाणपत्र कार्य स्वीकृत करने की दिनांक से 10 दिवस में प्रस्तुत करेगा)

क्रमांक 1 से 7 तक के स्व प्रमाणित प्रमाण पत्र संलग्न करें तथा क्रमांक 7 का यदि आवश्यक हो तो वचन पत्र प्रस्तुत करें ।

2 (अ) आनलाईन निविदा पत्र की प्राप्ती–

2.1 निविदा पत्र निगम की बेब साईट www.mpagro.org पर अवलोकन हेतु दिनांक 13.03.2020 अपरान्ह् 12.00 बजे से उपलब्ध रहेगा। निविदाकार जिनके पास वैध Class III Degital Signature है, वे निविदा पत्र का क्रय www.mptenders.gov.in पर आवश्यक प्रोसेसिंग फीस का भुगतान कर दिनांक 13.03.2020 अपरान्ह 12.00 बजे से 20.03.2020 अपरान्ह् 1.00 बजे तक किया जा सकता है।

2.2 निविदा में भाग लेने वाले निविदाकर्ताओं को निर्धारित निविदा दस्तावेज आन लाईन आवश्यक प्रोसेसिंग फीस जमा कर क्रय किया जाना अनिवार्य है। दस्तावेज के मूल्य राशि रू 5000+GST = 5900 ऑन लाईन जमा कराना आवश्यक है ।

2.3 एक निविदाकर्ता से एक ही निविदा स्वीकार की जावेगी । निविदाकर्ता द्वारा निगम में एक से अधिक फर्म या अन्य नामों से भाग लिये जाने की जानकारी निगम को प्राप्त होने की दशा में आवेदक द्वारा इस तरह प्रस्तुत सभी निविदा अमान्य की जावेंगी एवं संबंधित निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत संकल्प धनराशि जप्त की जावेगी ।

2.4 निविदा प्रस्तुत करने का आशय है कि निविदाकर्ता ने निगम द्वारा जारी निविदा पत्र को भलीभांति पढ़ लिया है तथा वे कार्य के स्वरूप/आवश्यकताओं से भलीभांति अवगत है तथा निगम की निर्धारित शर्तों पर कार्य करने हेतु सहमत है। सशर्त ऑफर किसी भी स्थिति में मान्य नहीं होगें।

2. **(ब) प्री बिड मीटिंग**– निविदा के संबंध में दिनांक 17.03.2020 को अपरान्ह 3.00 बजे निगम मुख्यालय में मेजनाईन फ्लोर आयोजित होगी । संभावित निविदाकार निविदा के संबंध में अपनी आपत्तियां/सुझाव दिनांक 17.03.2020 को अपरान्ह् 02.00 बजे से पूर्व प्रस्तुत कर सकते है। आपत्तियों/सुझावों का निराकरण/समाधान कर तदानुसार आवश्यक संशोधन निविदा में किये जा सकेंगे जो निविदा पत्र का हिस्सा कहलाएंगे । प्राप्त सभी सुझावों/आपत्तियों के संदर्भ में निगम के प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम होगा। प्री बिड मीटिंग के उपरांत निविदा की शर्तों कें संबंध में आपत्तियां स्वीकार नहीं की जावेगीं, अतः यह आवश्यक है कि संभावित निविदाकार निविदा पत्र को ध्यान पूर्वक पढ़ कर शर्तों एवं कार्य के स्वरूप से भलीभांति परिचित हो कर आश्वस्त हो लें जिससे बाद में विवाद/संदेह की स्थिती न रहे।

3. संकल्प धन राशि (EMD) –

3.1 निविदा के साथ संकल्प धनराशि का भुगतान आनलाईन किया जाना आवश्यक है एवं विवरण पृष्ठ क्र. 7 पर दिया जाना आवश्यक है। बिना संकल्प धनराशि के कोई निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी ।

क्र0	संयंत्र की संख्या	EMD
1	1680/ 1200 मी.टन क्षमता का एक	10,000.00
2	1680 मी.टन क्षमता का दो	20,000.00
3	1680 मी.टन क्षमता का तीन	30,000.00
4	1680 मी.टन क्षमता का चार	40,000.00
5	1680 मी.टन क्षमता का पांच	50,000.00
6	1680 मी.टन क्षमता का छः	60,000.00
7	1680 मी.टन क्षमता का छः एवं बाड़ी संयंत्र	70,000.00
8	600 मी.टन क्षमता का एक	8,000.00

गणना हेतु अनुसूची क्रमांक–1 का क्रमांक –8 देखें ।

संकल्प धन राशि प्रत्येक संयत्र हेतु कालम 3 के अनुसार निधारित है। तकनीकी कारणों से निविदाकार को सभी सयंत्रों हेतु आवश्यक पूर्ण राशि रू 78,0000 जमा कराई जाना आवश्यक है। निविदाकार द्वारा जिन सयंत्रों हेतु निविदा प्रस्तुत की जावेगी उतनी राशि संकल्प धन राशि के रूप में निगम में जमा की जावेगी तथा शेष राशि निगम द्वारा निविदाकार को वापस कर दी जाएगी।

3.2 संकल्प धनराशि निम्न स्थितियों में जप्त की जा सकती है :–

1. निगम द्वारा निविदाकर्ता की निविदा को स्वीकृत/अमान्य/निरस्त करने के पूर्व अपनी निविदा वापस लिये जाने की दशा में।
2. निविदा के साथ गलत जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करने की दशा में।
3. निविदाकर्ता द्वारा ऐसी कार्यवाही करने पर जिससे निगम की छवि को हानि पहुंचे।
4. निविदाकर्ता द्वारा निविदा मान्य होने पर निर्धारित समय सीमा में अनुबंध नहीं किये जाने की दशा में ।

अयोग्य पाये गये निविदाकर्ताओं की **संकल्प धनराशि mptenders.gov.in द्वारा आनलाईन संबंधित बैंक खाते में** वापस की जावेगी। संकल्प धन राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

4. <u>निविदा प्रस्तुत किया जाना –</u>

4.1 आन लाईन निविदा दिनांक 20.03.2020 अपरान्ह 2.00 बजे तक www.mptenders.gov.in पर अपलोड किए जा सकेंगे।

4.2 निविदाकर्ता के लिये यह अनिवार्य है कि वे निर्धारित समय सीमा में निविदा एवं आवश्यक दस्तावेज तथा वित्तीय आफर www.mptenders.gov.in पर अपलोड कर लेवें। www.mptenders.gov.in की बेबसाईट में तकनीकी खराबी/सर्वर की समस्या या अन्य किसी तकनीकी कारणों से समय पर निविदा अपलोड नहीं होने की दशा में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा, अतः निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक एवं समय का इंतजार न करते हुये इसके पूर्व निविदा अपलोड करें जिससे समस्या यदि कोई हो तो, का समय पर निराकरण किया जा सके।

4.3 निम्नानुसार दस्तावेज www.mptenders.gov.in पर अपलोड किये जाना आवश्यक है–

1. PAN तथा GST No. की स्वप्रमाणित प्रति ।
2. शर्त क्रं 3.1 के अनुसार संकल्प धनराशि ऑन लाईन जमा करने संबंधी विवरण
3. शर्त क्रं 1.4 के अनुसार अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र।
4. अनुसूची 1 के अनुसार निविदाकर्ता का विवरण/आवेदन पत्र
5. अनुसूची क्रमांक–3 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में रूपये 500.00 के स्टाम्प पेपर पर घोषणा पत्र की स्कैन की गई प्रति ।
6. निविदाकर्ता फर्म की और से निविदा/दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने हेतु अन्य को दिये गये अधिकार पत्र की स्कैन की गई प्रति (प्रोपराईटर होने की दशा में आवश्यक नहीं)।
7. अनुसूची क्रं 5 में अनुबंध प्रारूप
8. अनुसूची क्रं 4 में वित्तीय आफर

उपरोक्त क्रं 1 से 8 तक के दस्तावेज (वित्तीय ऑफर अनुसूची क्रं–4 छोड़कर–वित्तीय ऑफर को अलग से अपलोड किया जाना है) के आधार पर योग्य पाए गए निविदाकारों के ही वित्तीय ऑफर खोले जाएंगे) विधिवत स्केन करते हुये JPG या PDF format में, न्यूनतम 100 DPI में अपलोड किया जाना आवश्यक है। निविदाकार द्वारा सुनिश्चित कर लिया जावे कि स्केन किये गये दस्तावेज पठनीय हों ।

4.4 निविदा पत्र एवं आवश्यक दस्तावेजों की हार्ड कापी (वित्तीय आफर अनुसूची क्रं 4 छोड़कर) दिनांक 20.03.2020 को अपरान्ह् 2.00 बजे तक निगम के भोपाल स्थित मुख्यालय में रखे टेंडर बॉक्स में प्रस्तुत की जाना आवश्यक है। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् विलंब से प्राप्त प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया जावेगा चाहे ऐसी निविदाएं डाक द्वारा विलंब से प्राप्त हुई हों। प्रस्तुत किये जाने वाले लिफाफे में ''2 लाख किलो कैलोरी के (थर्मिक फ्लूड) थर्मोपैक के संचालन कार्य हेतु निविदा – तकनीकी विवरण'' लिखते हुये आवेदक का नाम एवं पता लिखते हुये प्रस्तुत किया जाना है । **लिफाफा में प्रस्तुत किये जाने वाले वाले दस्तावेजों का विवरण –**

1. शर्त क्रं 1.2 के अनुसार निविदापत्र के मूल्य की राशि रूपये 5900/–ऑन लाईन जमा किए जाने का विवरण ।
2. शर्त क्रं 3.1 के अनुसार संकल्प राशि ऑन लाईन जमा किए जाने का विवरण ।
3. अनुसूची क्रमांक–3 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में रूपये 500.00 के स्टाम्प पेपर पर घोषणा पत्र ।

4. PAN तथा GST No. की स्वप्रमाणित प्रति ।
5. निविदाकर्ता फर्म की और से निविदा/दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने हेतु अन्य को दिये गये अधिकार पत्र की मूलप्रति (प्रोपराईटर होने की दशा में आवश्यक नहीं)।
6. निविदा दस्तावेज सभी पृष्ठों पर सील एवं हस्ताक्षर सहित (पृष्ठ क्रं. 1 से 21 तक) (पृष्ठ क्रमांक 18 को छोड़कर)
7. शर्त क्रं 1.4 के अनुसार अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र।
8. अनुसूची 1 के अनुसार निविदाकर्ता का विवरण/आवेदन पत्र

अनुसूची–5 **अनुबंध प्रारूप** पर केवल हस्ताक्षर करने हैं, सफल निविदाकार को इसी प्रारूप में रूपये 1000.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध प्रस्तुत करना है ।

लिफाफा के ऊपर स्पष्ट शब्दो में ''**2 लाख किलो कैलोरी के (थर्मिक फ्लूड) थर्मोपैक के संचालन कार्य हेतु निविदा तकनीकी विवरण** '' लिखा जावे ।

5 निविदा खोला जाना–

5.1 ऑन लाईन प्राप्त निविदा का तकनीकी ऑफर तथा टेंडर बॉक्स में प्राप्त लिफाफा दिनांक 26.3.2020 को अपरान्ह 3.00 बजे निगम मुख्यालय के कम्प्यूटर कक्ष में अधिकृत समिति द्वारा उपस्थित निविदाकर्ताओं अथवा उनके मनोनीत प्रतिनिधि (एक निविदाकार से केवल एक) के समक्ष खोले जावेंगे ।

5.2 ऑनलाईन/लिफाफा में हार्ड कॉपी में प्रस्तुत दस्तावेज पर अधिकृत समिति की अनुशंसाओं के आधार पर कार्यवाही की जावेगी।

5.3 सभी दस्तावेज ऑन लाईन प्रस्तुत किये जाना हैं तथा शर्त क्रं 4.4 के अनुसार हार्ड कॉपी भी प्रस्तुत की जाना है। आनलाईन प्रस्तुत दस्तावेज में कोई कमी होने अथवा अपठनीय होने की स्थिति में हार्ड कॉपी में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर निर्णय लिया जावेगा।

5.4 तकनीकी आधार पर योग्य पाये गये निविदाकर्ताओं के वित्तीय प्रस्ताव निविदाकर्ताओं अथवा उनके प्रतिनिधि के समक्ष खोले जावेंगे । वित्तीय प्रस्ताव खोलने की तिथि एवं समय की जानकारी निगम की बेबसाईट पर प्रकाशित की जायेगी व योग्य पाये गये निविदाकर्ताओं को ई–मेल द्वारा दी जा सकेगी ।

6 दर प्रस्तुत करना –

6.1 थर्मोपैक संचालन के कार्य हेतु प्रति मी. टन कोयला खपत के आधार पर दरें दी जाना हैं। दरों में GST शामिल नहीं होगा, इसे अलग से दर्शाया जाये।

6.2 प्रस्तुत की गई दरों में सभी व्यय सम्मिलित रहेगें। दर अनुसूची क्रमांक 4 प्रदर्श के रूप में प्रस्तुत की गई है। निविदाकार को आन लाईन पोर्टल mptenders.gov.in पर दिये गये वास्तविक प्रारूप में वित्तीय निविदा अपलोड किया जाना आवश्यक है।

6.3 प्रस्तुत की गई दरें निविदा प्रस्तुत करने की दिनांक से 90 दिवस के लिये प्रभावशील मान्य रहेंगी अर्थात इस अवधि में निगम द्वारा प्रस्तुत दर स्वीकार की जा सकेगी । यदि किसी निविदाकर्ता द्वारा दरें प्रस्तुत करने के पश्चात उक्त अवधि में अपनी दरें वापस ली जाती हैं या कार्य से मना किया जाता है तो निविदा के साथ प्रस्तुत संकल्प धन राशि को जप्त कर लिया जाएगा ।

6.4 प्राप्त दरों पर किसी भी प्रकार की दर चर्चा नहीं की जाएगी, अतः निविदाकर्ताओं से अपेक्षा है कि वे कार्य हेतु अपनी न्यूनतम दर देवें। निगम के प्रबंध संचालक को यह अधिकार होगा कि वे समिति द्वारा अनुसंशित दर का प्रति प्रस्ताव न्यूनतम दर प्रस्तुत

करने वाले निविदाकार को दें, उनके द्वारा प्रति प्रस्ताव अमान्य करने की दशा में द्वितीय न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले निविदाकार को प्रति प्रस्ताव दिया जा सकेगा।

6.5 प्रत्येक संयंत्र पर कोयले की खपत के आधार पर ही भुगतान किया जाएगा, न्यूनतम कार्य की कोई गारंटी नहीं है।

7 निविदाकर्ता का चयन तथा अनुबंध –

7.1 तकनीकी आधार पर योग्य पाए गए निविदाकर्ताओं के ऑन लाईन प्राप्त वित्तीय ऑफर खोले जाएंगे ।

7.2 निगम स्तर पर गठित समिति द्वारा प्राप्त दरों के तुलनात्मक अध्ययन कर दरों के निर्धारण हेतु अनुसंशाएं प्रबंध संचालक को प्रस्तुत की जाएंगी । प्रबंध संचालक द्वारा कडिंका क्रं0 6.5 के आधार पर नियमानुसार निर्णय लेते हुये कार्य हेतु दरों का निर्धारण किया जावेगा ।

7.3 उक्तानुसार कडिंका 7.2 के आधार पर प्रथम न्यूनतम दर देने वाले निविदाकर्ता को सूचित कर उनकी सहमति होने पर निगम द्वारा इस आशय की सूचना निविदाकर्ता को देते हुये 10 दिवस में निगम के साथ अनुसूची–7 अनुसार राशि रू 1000/– के गैर न्यायिक स्टाम्प पर स्वयं के व्यय पर अनुबंध हेतु सूचित किया जावेगा।

7.4 निर्धारित समय सीमा में अनुबंध निष्पादित नहीं किये जाने की दशा में यह मान्य करते हुये कि निविदाकर्ता कार्य करने का इच्छुक नहीं है, उसकी निविदा को निरस्त कर संकल्प धनराशि जप्त कर ली जाएगी एवं/अथवा एक निश्चित समय सीमा के लिए निगम/संयंत्र हेतु कार्य करने से वंचित कर दिया जाएगा ।

7.5 चूंकि समस्त थर्मोपैक संचालन कार्य एक निश्चित समय सीमा में निष्पादित करना आवश्यक है, अतः निगम प्राप्त न्यूनतम दर पर द्वितीय न्यूनतम दर देने वाले योग्य निविदाकर्ता से उनकी सहमति के आधार पर अनुबंध निष्पादित कर सकेगा तथा प्रथम न्यूनतम दर देने वाले निविदाकार द्वारा 2 दिवस में कार्य न करने पर ऐसे अनुबंधित निविदाकर्ता से कार्य करवा सकेगा अथवा शर्त क्रं 9.3 अनुसार कार्यवाही कर सकेगा।

8 अनुबंध –

1. अनुबंध के पश्चात अनुबंधित निविदाकर्ता **थर्मोपेक संचालनकर्ता** कहलाऐंगे।
2. निविदाकार की दरें स्वीकृत होने की स्थिति में **अनुसूची–5** अनुसार अनुबंध प्रस्तुत करने हेतु प्रदायक को 10 दिवस की समय सीमा दी जावेगी। थर्मोपैक संचालन सेवा प्रदाता द्वारा नियत समय सीमा में अनुबंध प्रस्तुत नहीं किये जाने की दशा में निगम थर्मोपैक संचालन सेवा प्रदाता द्वारा जमा की धरोहर राशि जप्त करने की कार्यवाही करेगा, इसके लिये पृथक से **थर्मोपैक संचालनकर्ता** को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक नहीं है।
3. अनुबंधित दरें दिनांक 31.3.2022 एवं आगे की अवधि तक अर्थात् जब तक नवीन निविदा के अंतर्गत नवीन दरों का अनुबंध न हो, तब तक प्रभावशील रहेंगी।
4. अनुबंध होने के उपरांत थर्मोपेक संचालनकर्ता द्वारा थर्मोपेक संचालन का कार्य किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं किया जावेगा। यदि थर्मोपेक संचालनकर्ता द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही की जाती है एवं निगम के संज्ञान में आती है तो निगम अनुबंध को निरस्त कर धरोहर राशि जप्त करने का अधिकारी रहेगा।

9 धरोहर राशि–

9.1 अनुबंध उपरांत निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत संकल्प धनराशि धरोहर राशि के रूप में समायोजित की जावेगी।

9.2 धरोहर राशि अनुबंध की प्रभावशीलता की अवधि में निगम के पास जमा रहेगी। अनुबंध अवधि समाप्ति पर किसी प्रकार के विवादास्पद स्थिति न होने की दशा में धरोहर राशि बिना किसी ब्याज के परिवहनकर्ता को वापस की जावेगी।

9.3 धरोहर राशि निम्न परिस्थितियों में जप्त की जा सकती है–

9.3.1 थर्मोपेक संचालक द्वारा निर्धारित अनुबंध अवधि से पूर्व कार्य बंद किये जाने की दशा में।

9.3.2 थर्मोपेक संचालक द्वारा संतोषजनक रूप से कार्य नहीं किये जाने एवं निगम द्वारा इस आधार पर उनके अनुबंध को निरस्त किये जाने की दशा में ।

9.3.3 निविदा पत्र की निर्धारित शर्तों के उल्लंघन किये जाने की दशा में।

10. कार्य का स्वरूप तथा दायित्व –

1. पृष्ठ क्रं 3 में दर्शित सयंत्र की उत्पादन क्षमता उनकी स्थापित उत्पादन क्षमता है। विभाग की मांग के आधार पर उत्पादन किया जावेगा जो उत्पादन से कम भी हो सकता है। ठेकेदार को वास्ताविक कार्य के आधार पर थार्मोपैक के संचालन के कार्य का भुगतान किया जावेगा। न्यूनतम उत्पादन सीमा मान्य नहीं होगी।
2. **थर्मोपैक का संचालन एवं दैनिक रखरखाव, खराब होने पर तत्काल दुरस्ती, माह की आदेशित प्रदाय मात्रा का उत्पादन कार्य समाप्त होने पर मासिक संधारण तथा दायित्व**

2.1 निविदाकर्ता का थर्मोपेक संचालनकर्ता के रूप में नियमानुसार चयन कर अनुबंध के उपरान्त स्थापित 2 लाख किलो कैलोरी के कोल थर्मोपैक को उपकरणों सहित (चिमनी, थर्मिक फ्लुयिड पम्प, थर्मिक फ्लुयिड सहित पाईप लाईन इत्यादि) चालू हालत में सौंपा जायेगा। इसके उपरान्त का थर्मोपैक संचालन ठेकेदार द्वारा इस कार्य हेतु उसके द्वारा नियत व्यक्तियों से कराया जाएगा एवं उसके संचालन तथा रखरखाव का पूर्ण दायित्व ठेकेदार का रहेगा। संयंत्र प्रभारी द्वारा आवश्यक स्पेयर पार्टस तथा अन्य कन्ज्यूमेबिल उपलब्ध कराए जाएंगे। थर्मोपैक एवं उपकरणों के समुचित चालन एवं रखरखाव के लिए मुख्य कार्य बिन्दु अनुसूची–6 पर संलग्न है।

2.2 उक्तानुसार समस्त कार्य को संपादित करने हेतु पर्याप्त संख्या में आपरेटर/लेबर की व्यवस्था थर्मोपेक संचालनकर्ता द्वारा की जाना होगी जिससे स्थापित कोल थर्मोपैक के संचालन एवं रखरखाव कार्य निर्बाध रूप से सम्पन्न हो सके।

2.3 थर्मोपेक संचालनकर्ता की असावधानी से यदि स्थापित कोल थर्मोपैक बन्द रहता है तो निगम द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था से इस कार्य को कराया जाऐगा तथा वैकल्पिक व्यवस्था पर व्यय होने वाली अतिरिक्त राशि ठेकेदार से वसूल की जाऐगी। यदि ठेकेदार द्वारा नियोजित कर्मचारियों से स्थापित कोल थर्मोपैक का कार्य समुचित रूप से नहीं हो पाता है तो ठेकेदार को कर्मचारियों की संख्या बढ़ानी होगी जिसके लिए कोई राशि देय नहीं होगी।

2.4 कोल थर्मोपैक के परिचालन से कार्य के दौरान यदि उसमें कोई टूट–फूट होती है, कोल थर्मोपैक क्षतिग्रस्त होता है तो इसकी सूचना तत्काल थर्मोपेक संचालनकर्ता द्वारा संयंत्र प्रभारी को दी जायेगी। संयंत्र प्रभारी यह निर्णय लेंगे की टूट–फूट

थर्मोपेक संचालनकर्ता की असावधानी से हुई है या सामान्य रूप से हुई है। यदि थर्मोपेक संचालनकर्ता की असावधानी से कोल थर्मोपैक तथा उसके अन्य उपकरणों में कोई टूट–फूट होती है तो उसके सुधार पर होने वाले व्यय की वसूली संबंधित थर्मोपेक संचालनकर्ता से की जायेगी।

2.5 यदि संयंत्र प्रभारी को महसूस होता है कि थर्मोपेक संचालनकर्ता द्वारा नियोजित व्यक्ति/ व्यक्तियों से संयंत्र में कार्य कराना निगम के हित में नही है तो थर्मोपेक संचालनकर्ता को उन्हें तत्काल हटाकर उनके स्थान पर अन्य प्रशिक्षित व्यक्तियों को नियोजित करना होगा।

2.6 अनुबंध अवधि में निगम के संयंत्र में उत्पादन बंद होने पर या उत्पादन में कमी होने की दशा में ठेकेदार को स्थापना/लेबर पेमेन्ट संबंधी किसी भी हानि का उत्तरदायित्व निगम का नहीं होगा।

2.7 थर्मोपेक संचालनकर्ता का दायित्व होगा की वह कोल थर्मोपैक एवं उसके अन्य उपकरणों का उचित प्रकार से रखरखाव करे एवं संयंत्र प्रभारी को इससे अवगत कराते रहे तथा उनसे निरीक्षण कराते रहे। थर्मिक फ्लुयिड के इनलेट एवं आउटलेट के निर्धारित तापमान को बरकरार रखने के लिए थर्मोपेक संचालनकर्ता जिम्मेदार रहेंगे। उनका कर्तव्य है कि वह समय–समय पर थर्मोपैक तथा उसके उपकरणों का निरीक्षण करते रहे एवं उसकी प्रविष्टी रजिस्टर में करते रहे।

2.8 थर्मोपेक संचालनकर्ता को शासकीय श्रम नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। उसके द्वारा कोल थर्मोपैक कार्य हेतु नियोजित आपरेटर/लेबरों को ईपीएफ, ईएसआई का निर्धारित अंशदान भुगतान कर नियोजित आपरेटर/लेबरों से उनका अंशदान प्राप्त कर संबंधित विभागों में जमा करा कर उसकी रसीद इत्यादि संयंत्र प्रभारी को प्रस्तुत करना होगी। इसके लिए ठेकेदार को कोई अतिरिक्त भुगतान निगम द्वारा नही किया जायेगा।

2.9 यदि थर्मोपेक संचालनकर्ता द्वारा श्रम अधिनियमों में एवं लागू अन्य अधिनियमों का पालन नहीं किया जाता है एवं संबंधित विभागों द्वारा उस पर कार्यवाही की जाती है तो उसकी सारी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी तथा निगम द्वारा देय राशि में से विभागों को देय राशि काटी जा कर संबंधित विभाग को भुगतान की जायेगी, जिस पर ठेकेदार को कोई आपत्ति लेने का अधिकार नही होगा।

2.10 थर्मोपेक संचालनकर्ता द्वारा नियोजित कर्मचारियों की सुरक्षा तथा देनदारियों का सम्पूर्ण दायित्व ठेकेदार का होगा। किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर या अन्य स्थिति में ठेकेदार द्वारा नियोजित किए गए आपरेटर/लेबरों द्वारा किए गए किसी भी प्रकार के किसी भी क्लेम के विरूद्ध भुगतान का सम्पूर्ण दायित्व ठेकेदार का रहेगा।

2.11 थर्मोपेक संचालनकर्ता द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप में निगम के नियोजन में नही माने जायेंगे तथा ऐसे व्यक्तियों के नियमानुसार सभी प्रकार के दायित्वों के लिए ठेकेदार सम्पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

2.12 थर्मोपेक संचालनकर्ता का दायित्व है कि वह शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित न्यूनतम वेतन के आधार पर भुगतान उसके द्वारा नियोजित आपरेटरों/लेबरों को करें। किसी भी विवाद/शासन के नियमों के उल्लंघन की दशा में उत्पन्न वैधानिक स्थिति के लिए निगम उत्तरदायी नहीं होगा।

2.13 थर्मोपेक संचालनकर्ता द्वारा नियुक्त व्यक्तियों के कार्यों/गलतियों के कारण या ठेकेदार के कार्यों/गलतियों के कारण निगम को हानि होती है तो उसकी भरपाई ठेकेदार द्वारा की जाएगी।

2.14 थर्मोपेक संचालनकर्ता अपने दायित्वों को पूरा करने के दौरान प्राप्त किसी भी जानकारी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रगटीकरण नहीं करेगा तथा हमेशा उसे गोपनीय रखेगा।

2.15 ठेके की अवधि की समाप्ति के पश्चात ठेकदार संयंत्र से प्राप्त सभी सामग्रियां उसी स्थिति में जिसमें उसे प्राप्त हुई हैं, संयंत्र को वापिस करेगा। किसी भी कमीबेशी/खराब सामग्री की राशि ठेकेदार से वसूल की जाएगी।

2.16 थर्मोपेक संचालनकर्ता निम्न के संबंध में निगम के पक्ष में बीमा कराएगा एवं उसे कार्य अवधि में लागू रखेगाः–

- कार्य के निष्पादन के दौरान होने वाली तीसरी पार्टी के नुकसान या संपत्ति को हुए नुकसान से उत्पन्न दावा (Third Party Insurance)।
- कार्य के निष्पादन के दौरान ठेकेदार द्वारा काम पर लगाए गए कामगार के कारण हुए नुकसान/क्षति से उत्पन्न दावा।
- लागू पीएफ/श्रम कानूनों, ईएसआई, विनियमों आदि का अनुपालन न किए जाने के कारण उत्पन्न कोई दावा ।

2.17 थर्मोपेक संचालनकर्ता द्वारा पूर्ण कोल थर्मोपैक एवं उसके अन्य उपकरणों हेतु नियोजित व्यक्तियों की सूची संयंत्र प्रभारी को उपलब्ध कराई जाएगी।

2.18 थर्मोपेक संचालनकर्ता द्वारा पूर्ण कोल थर्मोपैक एवं उसके अन्य उपकरणों के कार्य में नियोजित किए गए कर्मचारी, ठेकेदार के ही कर्मचारी होंगे और ऐसे कर्मचरियों के संबधं में निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी और न ही वे किसी भी प्रकार से निगम के कर्मचारी माने जाएंगे।

11. **भुगतान**–

11.1 थर्मोपेक संचालनकर्ता सेवा प्रदाता द्वारा प्रत्येक माह अनुबंधित दर अनुसार विधिवत तीन प्रतियों में देयक जिसमें GST नम्बर एवं GST की राशि का स्पष्ट उल्लेख संयंत्र प्रभारी को प्रस्तुत किये जावेगें।

11.2 देयक प्राप्त होने पर सामान्यतः 15 दिवस में भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।

11.3 अपूर्ण देयकों के भुगतान में विलंब का उत्तरदायित्व थर्मोपेक संचालनकर्ता का रहेगा, इस आधार पर थर्मोपेक संचालनकर्ता का कार्य नहीं रोका जायेगा।

11.4 किसी भी प्रकार की कटौती का निर्णय होने की दशा में थर्मोपेक संचालनकर्ता के देयकों से आवश्यक राशि की कटौती संयंत्र प्रभारी द्वारा की जावेगी।

12. किसी भी निविदा/प्राप्त सभी निविदाओं को पूर्णतः/अंशतः स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार निगम के प्रबंध संचालक को होगा । उनके द्वारा लिया गया निर्णय बंधनकारी होकर मान्य करना होगा । इस संबंध में निविदाकर्ता को कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा ।

13. निगम के प्रबन्ध संचालक निविदा की किसी भी शर्त में आंशिक/पूर्ण परिवर्तन/संशोधन/निरस्त करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे ।

14- Force majour clause लागू रहेंगे जिसका निर्धारण करने हेतु निगम के प्रबंध संचालक अधिकृत रहेंगें।

15. विवाद की दशा में प्रकरण सर्वप्रथम महाप्रबंधक पोषण आहार को प्रस्तुत किया जायेगा । उनके द्वारा लिये गये निर्णय से असंतुष्ट होने की दशा में प्रकरण निगम के प्रबंधसंचालक, को प्रस्तुत किया जायेगा जो आर्बिट्रेटर के रूप में अपना निर्णय देगें । आर्बिट्रेटर के निर्णय से असंतुष्ट होने की दशा में न्याय क्षेत्र भोपाल जिले के लिये सक्षम न्यायालय होगा ।

महाप्रबंधक (पोषण आहार)

दि. एम. पी. स्टेट एग्रो इण्ड. डेव्ह. कार्पो. लिमि.
पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल
☎- 0755- 2761392 Fax - 0755 2557305 email - mpagro_bpl@airtelmail.in

थर्मोपैक संचालन एवं रखरखाव का कार्य करने हेतु घोषणा पत्र

मैं ....मेसर्स ....की ओर से जो निगम द्वारा आमंत्रित निविदा में हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत हूॅ । निगम की निविदा में उल्लेखित शर्तो के अनुसार पोषण आहार संयंत्र/संयंत्रों में थर्मोपैक संचालन का कार्य पर करने हेतु सहमत हूॅ ।

एम. पी. स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (निगम) द्वारा हमारे प्रस्ताव को मान्य किये जाने की दशा में आदेशानुसार अनुबंध की समय सीमा में निर्धारित शर्तो पर कार्य करने हेतु मैं/हम सहमत हैं । हम निविदा की सभी शर्तो से सहमत हैं एवं तदानुसार कार्य करेंगे । यदि अनुबंध उपरांत निगम द्वारा दिये कार्य में किसी प्रकार की शिकायत आती है अथवा अनुबंध की शर्तो का उल्लंघन होने से संयंत्र को अथवा उसके हितग्राहियों को हानि होती है तो उस हानि की पूर्ति निगम हमारे द्वारा जमा की जा रही धरोहर राशि एवं संयंत्र प्रभारी हमारे बिलों से कर सकता है ।

हमारी फर्म किसी भी शासकीय संस्था/उपक्रम/बैंक द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं है। इस संबंध में कोई भी कानूनी विवाद किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है ।

संकल्प धन राशि रू .... प्रस्तुत की जा रही है, जो हमारा ऑफर मान्य होने की दशा में धरोहर राशि के रूप में निगम के पास जमा रहेगी ।

हमारे द्वारा निविदा की सभी नियम एवं शर्तो को ध्यान पूर्वक पढ़ लिया गया है एवं संयंत्र का निरीक्षण कर कार्य को भलीभांति समझ लिया है। हम तदानुसार सभी शर्तो पर पूर्ण रूप से सहमत हैं ।

दिनांक :

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
एवं सील

गवाह

.... (हस्ताक्षर)

नाम एवं पता

नोट : राशि रूपये 500.00 के स्टाम्प पेपर पर मान्य ।

THE M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED

FINANCIAL BID

FOR RUNNING AND OPERATION OF THERMIC FLUID HEATER - COAL FIRED - CAPACITY 2 LAC KCAL/KR ON PER M.T COAL CONSUMPTION BASIS

The RATE is to be quoted in the proforma given below through online (i.e., the price bid is to be uploaded through e-portal). The rates should be quoted for ONE METRIC TON COAL CONSUMPTION BASIS for works as mentioned at Sr. No. 10.2 of Annexure 2, and for annula maintance.

Name of the Bidder ....'
Address .---

SR	PLACE	**RATE PER M.T. (COAL CONSUMPTION) FOR OPERATION OF THERMOPACK**		
		BASIC RATE Inclusive of all Expensess	GST	TOTAL
1	2	3	4	5(3+4)
1	DEWAS			
2	DHAR			
3	MANDLA			
4	SHIVPURI			
5	REWA			
6	SAGAR			
7	HOSHANGABAD			
8	BADI (RAISEN)			

Note:

1- Rates mentioned in column no 3 will be considered for comparison purpose.
2- Above Format is for illustration only Bidder has to submit rates in table available on online portal.

Signature of the Bidder along with seal

<u>अनुसूची–5</u>

:: <u>अनुबंध</u> ::

यह अनुबंध आज दिनांक .... को मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम जो कि कम्पनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत गठित शासकीय उपक्रम है जिसे आगे ''निगम'' कहा जावेगा एवं मेसर्स ....जिन्हें आगे ''**थर्मोपेक संचालनकर्ता** '' कहा जावेगा, के बीच निष्पादित किया गया है ।

यह कि निगम द्वारा समाचार पत्र में निविदा प्रकाशित कर विभिन्न स्थानों पर स्थापित संयंत्रों पर 2 लाख किलो कैलोरी के (थर्मिक फ्लूड) थर्मोपैक के संचालन एवं दैनिक रख–रखाव का कार्य प्रतिटन कोयला खपत के आधार पर ठेका पद्धति से करने हेतु
'' थर्मोपैक संचालन '' का कार्य करने हेतु दिनांक .... को निविदा आमंत्रित की गई थी । थर्मोपैक संचालक द्वारा निविदा प्रपत्र की सभी शर्तो को मान्य करते हुए निविदा में भाग लिया गया है । निविदा प्रपत्र की समस्त शर्ते अनुबंध का हिस्सा है ।

निगम द्वारा पत्र कमांक .... दिनांक .... से ठेकेदार के ऑफर को मान्य / निगम की प्रतिप्रस्तावित दर को मान्य करते हुए .... जिलों में स्थापित पोषण आहार सयंत्र में थार्मेपैक के संचालन एवं रखरखाब के कार्य को किये जाने हेतु अनुबंध करने बाबत् कार्यवाही की गई है ।

निम्नानुसार दस्तावेज/दस्तावेजों में उल्लेखित शर्ते एवं नियम अनुबंध का हिस्सा होंगे :–

1. निविदा प्रपत्र में उल्लेखित सभी शर्ते ।
2. **थर्मोपेक संचालनकर्ता** का सहमति पत्र
3. **थर्मोपेक संचालनकर्ता** द्वारा प्रस्तुत निविदा व अन्य जानकारियां ।
4. अनुबंध में संलग्न दर प्रपत्र

उक्तानुसार दस्तावेजों में उल्लेखित नियम व शर्ते अनुबंध का हिस्सा रहेंगे । अनुबंध के संबंध में निगम के प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम ओर मान्य रहेगा ।

उक्तानुसार विवरण के आधार पर दोनों पक्षों के मध्य अनुबंध उल्लेखित दिनांक को संपादित किया जाता है ।

महाप्रबंधक (पोषण आहार)

गवाह :

1.

2.

थर्मोपेक संचालनकर्ता

1.
2.

(राशि रू 1000/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित)

Main Points for Annual Maintenance and Service Routine/Scheduled Visit Check Points:

1. Check log book readings and compare with actual working of the Thermo pack.
2. Record all the operating parameters.
3. Take corrective action of any discrepancy and record action taken.
4. Check if all safeties and controls are working satisfactorily.
5. Observe if there are errors in the instruments and take appropriate action. If errors are minor in nature inform the operator of the error in the instrument. If the error is major, recommend replacement of the instrument.
6. Check Cleanliness of Thermic Fluid Circulation line.
7. Check and clean strainers and filters on the oil line, replace or recommend replacement of the elements, 'O' ring , gaskets etc. if found damaged.
8. Check tightness of foundation bolts.
9. Check and top up if required in D/e tank.
10. Tighten all Pipe line/ hose connections.
11. Clean the D/p switch TF line and check the setting.
12. Clean TF, pump cooling water line.
13. Check the fuel size and firing process.
14. Top up/lubricate system as the case may be in TF pump.
15 Check coil for external cleanliness, if coil is highly Sooted take up with customer for cleaning.
16. Check the Thermic Fluid line insulation physically.
17. Check Thermic Fluid and draw samples for the user and send it for testing. Corrective action based on analysis to be ensured. Analysis of Thermic fluid should be done periodically. Thermic fluid samples should not be drawn from leakage points but should be representative sample of the system Thermic Fluid.
18. Top up Thermic fluid in the system if required.
19. Clean externally, the unit, water pump, circulating pump, blowers, all motors, oil pumps etc.
20. Check current drawn by various motors.
21. These visits should be positively carried out every two months and a detailed report in standardized format is to be respective TL.
22. Check parts stocked at customer's premised. Guide the customer to maintain records of parts. Guide the customer regarding managing the spare parts inventory.
23. Track performance of the equipment. Compare it against the history.

Establish the optimum performance levels.

24. The activities under OIT are clearly defined. In case of a situation where it is required for TSF to spend more than one day for the OIT visits and where the extra time is to be spent for completely rectification, which generally does not fall under scope of OIT, visits. The job must be taken up and time spent adjusted against committed FOC breakdown visits in consultation with customer.

EFFICIENCY TRIALS

1. Examine the equipment in operation and co-ordinate with user for trial date.
2. Efficiency of equipment monitored according to check-sheet.
3. General efficiency Trial/Report.
4. Suggest Improvements if required.

BREAKDOWN VISIT CHECKPOINTS

1. Learn the detail background of the problem
2. Identity and resolve the problem
3. Root Cause analysis
4. Rectify the problem at root cause.
5. Equipment put back in action.
6. Inform In-charge Plant about nature of breakdown/malfunctioning, cause of the problem and the solution. Also inform the customer about the action taken/to be taken.
7. Inform customer about the action to be taken to avoid repetition of problems
8. Track breakdown, component failures.

EXCLUSIONS FROM ASC (Annual Service Contract)

1. Any Spares supply if required.
2. Any chemicals, consumables, lubricants etc. if required.
3. Analysis of fuel gases etc. if required once a year.
4. Analysis of Thermic fluid 4 times a year, fuel oil once a year. Client to arrange for the analysis of the samples drawn by us and provide us with the reports.
5. Facilities for Inspection and Checking if required.

General Manager (Poshan Aahar)